(1)

प्रेषक,

मो० गुलाम उल मदार,
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट,
हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

विषय- आवासीय फ्लैट पत्नी व स्वयं के नाम क्रय के उपरान्त सूचना के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती साजदा बी तथा स्वयं के नाम अधिकृत डीलर सैव फैव डेबलपर्स प्रा० लि० से एक आवासीय फ्लैट एल० 1208 टावर लॉरेल जासमीन ग्रौव एन०एच० 24 ग्राम महरौली जनपद गाजियाबाद में क्रय किया है। माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लैटर नं० 25/एडमिन (ए) 13 जुलाई 1998 के अनुपालन में सूचना निम्नवत है-

1. प्रार्थी की सेवा प्रारंभिक तिथि दिनांक 06-8-1999 है। वर्तमान में बतौर विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०एक्ट, हरदोई में तैनात है।

2. प्रार्थी के वेतन से सकल परिलब्धियां मु० 214423/- तथा शुद्ध परिलब्धियां मु० 164000/- है। कोई मासिक बचत या बीमा योजना नहीं चल रही है।

3. पूर्व में प्रार्थी द्वारा क्रय की गईं सम्पत्तियों को विवरण निम्नवत है-

(A) मारूति कार 800 दिनांक 15-9-2002 को मु० 207795/- रूपये में क्रय की तथा भारतीय स्टेट बैंक रामपुर से 1,75000/- रूपये का ऋण लिया। शेष धनराशि अपनी बचत से मार्जिंग मनी के रूप में जमा की। मासिक किश्त मु० 3136/- थी। ऋण की अदायगी सन 2005 में हो चुकी है। क्रय की सूचना माननीय न्यायालय को पत्र संख्या 301/I दिनांकित 27-09-2002 को प्रेषित की गई तथा प्रत्येक सम्पत्ति विवरण में प्रेषित की जा रही है।

(B) माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति आदेश सं० 13833/iv-2832/एडमिन(A) दिनांक 01-09-2007 से 4,00,000/- रूपये में आवासीय प्लाट बरेली में क्रय किया। क्रय हेतु पंजाब नेशनल बैंक, हरदोई से मु० 2,80,000/- रूपये का ऋण लिया। शेष मार्जिंग मनी अपने बैंक खाते से, मासिक किश्त लगभग मु० 7000/- रूपये थी। ऋण की अदायगी दिनांक 23-12-2010 को हो चुकी है। माननीय न्यायालय को विस्तृत सूचना पत्र सं० 338/2005 दिनांक 05-05-2007 तदोपरान्त पत्र सं० 1084/I-46-7 दिनांक 21-9-2007 को प्रेषित की गई। प्रत्येक सम्पत्ति विवरण में प्रेषित की जा रही है।

(C) 32 बोर रिवाल्वर दिनांक 16-04-2009 को स्माल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर से मु० 72427/- में क्रय किया, जिसका भुगतान अपने बैंक खाते से जरिये बैंक ड्राफ्ट किया गया। माननीय न्यायालय को पत्र संख्या 305/I-2809 दिनांक 20-04-2009 को प्रेषित की गई। प्रत्येक सम्पत्ति विवरण में प्रेषित की जा रही है।

(D) अक्टूबर 2010 में हुण्डई कम्पनी से नई i-10 कार मु० 465000/- रूपये में क्रय की, तीन लाख रूपये का ऋण भारतीय स्टेट बैंक इटावा से लिया। एक्सचेन्ज ऑफर में मु० 65000/- पुरानी मारूति कार लगाते हुए कम्पनी ने ली। शेष धनराशि अपने बचत खाते से अदा की। जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्येक सम्पत्ति विवरण में प्रेषित की जा रही है।

(E) अप्रैल 2017 में एल०जी० कम्पनी का फ्रीजर मु० 17194/- तथा 06-11-2017 को आर०ओ० एक्वागार्ड लगभग मु० 15000/- में क्रय किया, जिसका भुगतान बैंक खाते से किया, जिसकी सूचना सम्पत्ति विवरण में प्रेषित

की गई।

4. प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से कोई ऋण नहीं लिया।

5. उपरोक्त संदर्भित फ्लैट क्रय करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक मेरठ से मु० 15,00,000/– रूपये का ऋण लिया। ऋण दस वर्ष की अवधि का था। लगभग मु० 13,000/– मासिक किश्त का भुगतान मेरे बैंक खाते द्वारा स्वतः किया गया। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने बिन्दु –3(B) में वर्णित प्लाट को 60,00,000/– रूपये में विक्रय करने की अनुमति केस आई०डी० नं० S00014472021 से प्रदान की। उक्त विक्रय धनराशि से जुलाई 2022 में ऋण की अदायगी की जा चुकी है।

6. प्रार्थी द्वारा कोई पुरानी कार नहीं खरीदी गई।

7. क्रय की गई सम्पत्ति का विवरण निम्नवत है–

फ्लैट नं० एल 1208, 12वीं मंजिल, टावर लॉरेल जासमीन ग्रोड, ग्राम महरौली एन०एच 24 जनपद गाजियाबाद, फ्लैट का सुपर एरिया 1625 वर्ग फिट तथा कारपेट एरिया 972.09 वर्ग फिट है।

8. विक्रेता का नाम मेसर्स सैव फेव डेबलपर्स प्रा० लि० जरिये डायरेक्टर धनेश कुमार गोयल
पंजीकृत पता 177, ब्लाक–A चतुर्थ फ्लौर कोनडली, धरोली दिल्ली 110096 है।

9. विक्रेता अधिकृत, प्रतिष्ठित एवं नियमित रियल स्टेट के क्षेत्र में कार्यरत है।

10. विक्रेता का मुझसे कोई संबंध नहीं है। उसका कोई प्रकरण मेरे न्यायालय में न तो विचाराधीन है, न पूर्व में था और न ही उसका कोई केस मेरे द्वारा निर्णीत किया गया।

11. फ्लैट बुकिंग की तिथि 21–11–2021 को कुल मु० 40,00,000/– रूपये में तय हुआ, जिसका प्रबन्ध मेरे द्वारा निम्नवत किया गया।

A. एस०बी०आई० मेरठ से 15,00,000/– रूपये का ऋण लिया।

B. दिनांक 05–04–2021 को पी०पी०एफ० खाता बन्द करने से मु० 1390740/– अर्जित किये।

C. शेष मु० 1109260/– अपनी सैलेरी एकाउण्ट से अदा किये।

फ्लैट का पंजीकरण दिनांक 13–7–2022 को किया, जिसका स्टाम्प शुल्क मु० 2,70,000/– रूपये सरकारी खाते में जमा किया। (उपरोक्त सभी के प्रपत्र संलग्न है)

महोदय उक्त फ्लैट अपने परिवार की आवश्यकता हेतु क्रय किया। बरेली में स्थित प्लाट पर वर्तमान परिस्थितियों में परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से मकान बनाकर परिवार को रखना संभव नहीं था। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर प्लाट को 60,00,000/– रूपये में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी हो चुकी है। वर्तमान में प्रार्थी की मासिक सेविंग अथवा बीमा या निवेश की किश्त नहीं जा रही है।

माननीय न्यायालय की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

दि० 07–9–2022

भवदीय

mgmadar

(मो० गुलाम उल मदार)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट,
हरदोई।
आई०डी० यू०पी० 5886

संलग्नक–

1. सर्कुलर लैटर नं० 25/एडमिन(A) जुलाई 13 1998 पर विवरण।
2. विक्रय पत्र का संक्षिप्त विवरण
3. पी०पी०एफ० से प्राप्त धनराशि की पासबुक प्रविष्टि
4. वेतन खाते की पासबुक की प्रति
5. विक्रेता को देय चैक की प्रतियां एवं रसीदे
6. बैंक से स्वीकृत ऋण का प्रपत्र
7. ऋण अदेयता प्रमाणपत्र
8. स्टाम्प हेतु देय चैक की प्रति